

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 180/2026

Sher Singh Son Of Shri Laxman Singh

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Chandra Shekhar
For Respondent(s)	:	Mr. Shri Ram Dhakad, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

16/02/2026

सुना गया।

अयाचीगण को धारा 5 परिसीमा अधिनियम के नोटिस जारी किये जावें।

अयाची संख्या-1/राज्य की ओर से योग्य लोक अभियोजक धारा 5 परिसीमा अधिनियम के नोटिस स्वीकार करते हैं।

अयाची संख्या-2/परिवादी को धारा 5 परिसीमा अधिनियम के नोटिस साधारण एवं पंजीकृत डाक दोनों माध्यम से जारी किये जावें।

योग्य अधिवक्ता याचीगण इस संबंध में पी0एफ0 नोटिस एवं रजिस्ट्री चार्जेज 7 दिन में प्रस्तुत करें।

पत्रावली दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध की जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J